12.12 hrs.

Title: Dr. Raghuvansh Prasad Singh called the attention of the Minister of Planning to the situation arising due to the denial of a financial package to Bihar.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं योजना मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विाय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"बिहार को वित्तीय पैकेज देने से इनकार किए जाने से उत्पन्न स्थिति । "

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Central Government fully recognises the development potential of the State and its needs. The memorandum submitted by the hon. Member of Parliament has been forwarded to the concerned Ministries of the Government of India for taking appropriate action as per the established ways of providing assistance.

The Notice relates to the financial position of the State of Bihar *vis-à-vis* its development needs. Development planning of the State of Bihar is a function of the State Government under its Five Year and Annual Plans, and the Centre assists the State following well-established formulations such as Central Plan Assistance to the States, Centrally-Sponsored Schemes, and Additional Central Assistance. In addition, Central Government also supports and assists the States to avail funding from bilateral and multilateral financing agencies, market borrowings, and borrowings from institutional sources. The House is well aware of the methodology of allocation of Central Assistance under both plan and non-plan

The hon. Member has made the demands that the Centre should give a write-off of the outstanding loans of the State, that Bihar should be given the Special Category State status, and that certain amounts under the Tenth and Eleventh Finance Commission awards which were not released to the State should be released. Regarding these demands, information is as follows:

In respect of write-off of the outstanding loans, Ministry of Finance has carefully looked into this demand and has not agreed to it. In regard to according Special Category State status to Bihar, as the State does not fulfill the criteria laid down for declaration as a Special Category State, it has not been possible to declare it as a Special Category State. In regard to release of withheld funds of Tenth and Eleventh Finance Commissions, Finance Ministry has stated that the grants relating to Panchayati Raj institutions under the Tenth Finance Commission other than for the year 1996-97, have lapsed due to the delay in holding elections to Panchayati Raj institutions, which was done only in April/May of 2001. For the same reason, the Panchayati Raj institution grants for the year 2000-01 under the Eleventh Finance Commission could also not be released.

Various issues raised in the Calling Attention Notice such as strengthening of the transmission network, rural electrification, roads, flood control, and tackling the problems of drought and water-logging, are all sectors within the competence of the State Government. The Assistance is available from Central Government under respective Centrally-Sponsored Schemes. In regard to energy sector, assistance is also available from specialised agencies such as the Power Finance Corporation and the Rural Electrification Corporation. The State can make use of these resources to tackle the problems.

Central support to the State of Bihar has been substantially increased under the Eleventh Finance Commission award. In line with the recommendations of the Eleventh Finance Commission, an Incentive Fund for encouraging States to undertake fiscal reforms has been set up. For reforms in the power sector, an Accelerated Power Development Programme is being implemented by the Ministry of Power. The State Government can utilise these windows by preparing specific and monitorable commitments under a comprehensive reform package covering not only fiscal issues but other issues as well, such as power reforms, land reforms, downsizing the government and government-supported entities, etc.

As regards an economic package, the Planning Commission has provided additional Central assistance of Rs. 50 crore during the year 2002-01 followed by similar assistance of Rs. 100 crore during the year 2001-02 for a variety of developmental projects.

However, it has been noticed that in several instances, the utilisation of Central funds by the State of Bihar is below the available provisions. It is for the State Government finally to rectify this situation of under-utilisation of Central assistance.

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, केवल आपका ही नाम है, किसी अन्य का नाम नहीं है। आप एक सवाल पूछ सकते हैं, उसका मंत्री जी रिप्लाई दे देंगे। उसके बाद

जीरो ऑवर लेना है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह(वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार से एक दर्जन मंत्री हैं। नीतीश कुमार जी का ध्यान दूसरी तरफ लगा हुआ है और सी.पी. ठाकुर जी किसी अन्य बात में मशगूल हैं। बिहार के एक दर्जन मंत्री नौकरी कर रहे हैं, बिहार के हित का सवाल है। बिहार का क्या होगा, इसी से समझा जा सकता है। बिहार का जब बंटवारा हुआ था तो हमने वहां घोर विरोध किया था। उस पक्ष के लोग भी खड़े हो गए और वोट कराया। एक पैकेज के सवाल पर बंटवारे के वक्त पर सभी पार्टी के लोगों ने घोाणा की कि बंटवारा होने से जरूर बिहार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए बिहार को विशेा पैकेज दिया जाए। सभी पार्टी के लोग कमिटेड हैं। श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोर कमेटी बनी और सभी सांसदों का समूह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से मिला था। लगभग 60 सांसद, बिहार के, राज्य सभा और लोक सभा के सभी पार्टी के सांसदों ने मिल कर प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया था। उसमें कहा गया था कि बिहार की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। पहले से ही वहां की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन बंटवारे के बाद स्थिति ज्यादा बदत्तर हो गई। एक-चौथाई आमदनी बिहार में रह गई और तीन-चौथाई झारखंड में चली गई, लेकिन खर्चा तीन-चौथाई का बिहार में रह गया और एक-चौथाई झारखंड में चला गया। इस कारण 3000 करोड़ रुपए का घाटा हर साल बिहार से हो रहा है और खर्चा बढ़ रहा है। पंचम वेतन आयोग जो लागू हुआ, उससे सेंट्रल के फैसले से बिहार का खर्चा बढ़ा, इस कारण बिहार की आर्थिक हालत खऱाब है। पंचवर्षीय योजना लागू हुई, नौवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार का पांच हजार करोड़ खर्च हुआ, सभी राज्यों को दिया गया। हिन्दुस्तान का दसवां हिस्सा बिहार है, इसलिए उसे कम से कम पांच करोड़ मिलना चाहिए, लेकिन बिहार को केन्द्र से एग्रीकल्चर के सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम में केवल 55 करोड़ रुपए मिले, जब कि उसे दसवां हिस्सा मिलना चाहिए था। उसका दसवां हिस्से उसे मिले। इस तरह से हरेक विभाग में देखा गया, पीने के पानी में 7800 करोड़ रुपया नौवीं पंचवर्षीय योजना में खर्च हुआ। देश भर के सभी राज्यों को दिया गया, लेकिन बिहार को केवल 35 करोड़ रुपया दिया गया, जहां उसे 780 करोड़ रुपया मिलना था। इस प्रकार जितनी सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं, उन सब में बिहार को या तो दिया नहीं गया या नगण्य दिया गया। इस कारण हम लोगों ने मांग की थी कि योजना का जितना आकार होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। योजना का जो छोटा आकार था, उसमें भी जितना खर्च होना चाहिए था उतना नहीं हुआ - योजना का आकार हुआ था, 13 हजार करोड़ और खर्च हुआ 8000 करोड़। फिर 16 हजार करोड़ रुपए नौवीं पंचवर्षीय योजना का था, उसमें खर्च हुआ 12 हजार करोड़ रुपए। योजना का आकार भी छोटा-बड़ा था, उस योजना का कार्यान्वयन खर्च भी नहीं हुआ। सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम की मदद से राज्य सरकार वंचित रही और बिहार भी वंचित रह गया। आठ करोड़ 20 लाख की आबादी और हर साल बाढ़, सुखाड़, जल-जमाव से वहां के लोग तबाह है। केन्द्र सरकार ने घोाणा की थी कि हम आर्थिक पैकेज देंगे, लेकिन उस आर्थिक पैकेज में हम लोगों ने मांग की थी कि जो सेंट्रल का बिहार पर बकाया है, उसका कर्ज माफ कर दिया जाए। इस आधार पर कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में हमें जो सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम का खर्चा मिलना चाहिए, केन्द्र से सहायता मिलनी चाहिए वह नहीं मिली।

बिहार वंचित रहा और योजना का आकार भी छोटा रहा। इसलिए बिहार पर केन्द्र का जो बकाया है उसको माफ किया जाए।

बिहार को विशेा राज्य का दर्जा दिया जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश का जब बंटवारा हुआ तो उसको विशेा राज्य का दर्जा दे दिया गया लेकिन बिहार को विशेा राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। हम मांग करते हैं कि तमाम इकोनोमिक-इंडीकेटर्स में बिहार की स्थिति सब राज्यों में खराब है, इसलिए बिहार विशेा राज्य का दर्जा पाने के लिए डिजर्व करता है। इसलिए उसे विशेा राज्य का दर्जा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : एक सवाल पूछने का आपको अधिकार है लेकिन आपने तो दो-तीन सवाल पूछ लिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आर्थिक पैकेज की बात सबने कही लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। दसवें वित्त आयोग ने पंचायती राज के मद में सवा छः सौ करोड़ रुपये की अनुशंसा की। सन 1997-98 में मिला भी लेकिन जो वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी वह रोक करके रखा गया है। कहा गया कि चुनाव नहीं हुआ है इसलिए पैसा रोका हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा था, जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए थे तो उन्होंने पत्र दिया कि उस पैसे को दे दिया जाएगा और बिहार उससे वंचित नहीं रहेगा। लेकिन वह सवा छः सौ करोड़ रुपया रोके रखा गया। दसवें वित्त आयोग ने जो चुनाव के लिए कहा वह हमने पूरा किया और उस चुनाव में एक लाख सैंतीस हजार आदमी चुने गये जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं हैं लेकिन अभी तक पंचायती राज का पैसा सवा छः सौ करोड़ रुपया रुका हुआ है।

सिंचाई, बाढ़, सुखाड़, जल-जमाव इस मद की योजनाएं आई हुई हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने हमें एश्योर किया था कि योजना आयोग में एक सेल का निर्माण किया गया है जो आर्थिक पैकेज का निर्धारण करेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिजलीकरण के मामले में कितना अन्याय होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :जो मैंने प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूं। बिजलीकरण के मामले में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। करीब 37 करोड़ रुपया बिहार और झारखंड को मिनिमम-नीड प्रोग्राम में आवंटित हुआ। लेकिन उस 37 करोड़ में से बिहार को केवल 9 करोड़ रुपया दिया गया और झारखंड को 28 करोड़ रुपया दिया गया। इस तरह का आवंटन हुआ है। इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। आपदा के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, गरीबी के हिसाब से, गांव के हिसाब से, तमाम हिसाबों से यह गलत आवंटन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : 37 करोड़ में से 9 करोड़ बिहार को और 28 करोड़ झारखंड को किस आधार पर सरकार ने दिया, इसकी क्या बुनियाद है, क्या क्राईटेरिया है? यह मैं जानना चाहता हूं। आबादी, गरीबी, क्षेत्रफल आखिर किस आधार पर 9 करोड़ बिहार को और 28 करोड़ झारखंड को दिया गया?

10 हजार करोड़ रुपए देश के तमाम राज्यों को मिले लेकिन बिहार को एक पैसा नहीं मिला। हमारे राज्य का बिजली ट्रांसमिशन का प्रोजैक्ट योजना आयोग के पास आया है। 320 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन लाइन को दुरुस्त किया जाए। जल जमाव और सिंचाई का भी एक प्रोजैक्ट आया है। बिहार हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। बाढ़ नियंत्रण का स्थायी समाधान होना चाहिए। वहां टूरिज्म की भी बहुत संभावनाएं हैं। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप सवाल पूछिए। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं जीरो आवर शुरु कर दूंगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप बिजली से पर्यटन पर कैसे आ गए? आप सवाल पूछिए। कॉलिंग अटैंशन में केवल एक सवाल पूछने का अधिकार है। आपने लम्बी-चौड़ी तकरीर कर दी। यदि आपको सवाल पूछना है तो एक सवाल पूछिए। मैं मंत्री जी को बोलूंगा कि वह केवल उसका रिप्लाई दें।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : जब सरकार भेदभाव करेगी तो ऐसी बात कहनी पड़ेगी।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर कैसे खड़े हो गये हैं? रघुवंश जी, आप मेरी तरफ देखकर बात करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, बिहार की उपेक्षा और उसके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? बिहार के आठ करोड़ लोगों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार हो रहा है। हमारी इतनी क्षमता है कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और सरकार को बाहर कर सकते हैं। बिहार के लोग यहां नौकरी करते हैं। बिहार की आठ करोड़ आबादी का अहित हो रहा है। अगर बिहार पीछे छूट जाएगा तो हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। आर्थिक पैकेज के मामले में मेरा सवाल है कि जो हम लोगों ने इसकी मांग की है और सभी सांसदों ने मिलकर प्रधान मंत्री जी को जो ज्ञापन दिया है कि हमारा कर्जा माफ किया जाये, बिहार को विशेा राज्य का दर्जा दिया जाये, हमारी उस मांग को पूरा किया जाये। एक लाख 79 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज सभी दलों के विधायकों ने मिलकर दिया है। हम सब का उस पर कमिटमैंट है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की जांच करके देखा जाये तो पता लगेगा कि हमारे यहां के हर विभाग के साथ भेदभाव किया गया है। बिहार बाढ़ से हर साल प्रभावित होता है। वह बिजली के मामले में भी पीछे है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछेंगे या नहीं?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा माइनर इरिगेशन का प्रोजेक्ट यहां आया है। ऊसर भूमि विकास योजना का प्रोजेक्ट आया है। इस मामले में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हमने बिहार के आर्थिक पैकेज के बारे में जो मैमोरेंडम प्रधान मंत्री जी को दिया है, उसका क्या हुआ? हमारी इस मांग को पूरा करके हमारे साथ न्याय किया जाये और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाये। यदि वहां क्षेत्रीय विामता फैलेगी तो इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर आएगी। बिहार में ऐसी क्षमता है कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकती है। जब वहां की जनता लड़ाई लड़ती है तो दिल्ली धराशायी और चकनाचूर हो जाती है। यह हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। मैं बिहार की जनता की तरफ से आह्वान करता हूं कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाये और सरकार इस बारे में तुरन्त निर्णय ले। â€¦ (व्यवधान) मेरा आग्रह है कि दूसरे सदस्यों को भी इस पर बोलने का मौका दिया जाए। इस पर पांच सदस्य सवाल पूछ सकते हैं।

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर बोलने का मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयः मैं आपको इस पर बोलने का मौका दे सकता था लेकिन आपने नोटिस नहीं दिया। मैं नियमों को नहीं तोडूंगा।

श्रु रघुनाथ झा : आपके पास डिसक्रिशनरी पावर्स हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः मैं नियमों को नहीं तोडूंगा।

श्री रघुनाथ झाः यहां सदन में प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बिहार के साथ न्याय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप इसमें पार्टिसिपेशन के इच्छुक थे तो अपना नाम देते।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : मैने गलती की है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या मैं भी गलती करता?

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप मदद करने के लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपने गलती की है तो क्या मैं यहां बैठकर गलती करूं?

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप न्याय तो करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां बैठकर न्याय दे रहा हूं, अन्याय नहीं करूंगा। नियम को तोड़ना ठीक नहीं। अगर आप नाम देते तो मैं आपको बुलाता।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के मामले में भारत सरकार द्वारा बहुत लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव बरता जा रहा है। हम लोगों को न्याय मिले, हमने मैमोरेंडम दे रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बिहार के बारे में कहना था तो नाम देते, अब नियम के मुताबिक मैं आपको नहीं बुला सकता।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सवाल नहीं पूछना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप बुला लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कैसे बुला लूं?

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम सवाल नहीं करना चाहते, हम एक सुझाव देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :नियम में न सुझाव और न सवाल का प्रावधान है। मुझे नियम का पालन करना है, बताइये मैं क्या करूं? I cannot do that.

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, जिस समय बिहार राज्य का बटवारा हो रहा था..

उपाध्यक्ष महोदय : अगर नियम में ऐसा होता तो मुझे कोई दिक्कत नही थी अगर आप सवाल पूछने के लिये पहले लिखकर देते तो मैं आपको देता। अब सुझाव देने के लिये भी कोई प्रावधान नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं सुझाव दे रहा हूं कि उस समय गृह मंत्री जी ने कहा था कि बिहार के मामले में योजना आयोग की एक अलग से कमेटी बनाकर समीक्षा की जायेगी और बिहार के लिये अलग से व्यवस्था की जायेगी। हम यह जानना चाहते हैं कि माननीय गृहमंत्री जी ने जो कहा था, उसका क्या हुआ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: यह सवाल नहीं है, मैं कालिंग अटेंशन के खिलाफ कैसे अलाऊ करूं? I cannot violate the Calling Attention Rules. Madam, answer his question only. I cannot allow you to go on record.

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसका मतलब है कि अगर...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record. I have to take up the 'Zero Hour' today.

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ये बिलकुल सही और सच बतायेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं बतायेंगी। Let us be serious.

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप सीरियस होते तो लिखकर क्यों नहीं दिया?

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to respectfully assure the hon. Member along with the rest of the House that the concerns of the State of Bihar are adequately shared by all of us here, particularly at the Central Government. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record. This is not part of Calling Attention. I cannot allow you and I will not allow you.

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: I would like to answer this to the best of my ability. I hope that I would be able to assure the hon. Member as well as the entire House that the concerns of the State of Bihar are also the concerns of the Central Government. It is with this in mind that a certain series of initiatives have been taken by the Central Government so that after the division also Bihar will get its full attention. In terms of the various releases that have to be made in economic programmes, I would like to just quickly go through some of the programmes.

This has been mentioned in the Memorandum and also in the official Committee on Bihar that has been set up in the Planning Commission. The Cell has received enormous number of proposals from the State Government. These have, as regular, been sent to the various Ministries concerned with the request to take appropriate and urgent action. Reminders have been sent for expediting this action and the Government of Bihar has actually been asked to follow up with the various concerned Ministries.

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): When will you release the funds?

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Let me finish my reply. He has asked me a whole series of questions in one paragraph and I am attempting to answer them.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This kind of questions will be coming from every corner. You please answer to Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: So, a lot of requests have been there and have been forwarded to the various Ministries. We have asked them to expedite action. We have also asked the Government of Bihar to follow up this action with the concerned Ministries.

Now, an additional Central assistance of Rs.150 crore has been sanctioned so far to the State. The Planning Commission has also decided to prepare what is called the State Development Report for Bihar through the Institute of Human Development, New Delhi. This Draft Report has been recently received and it is going to be discussed at the State level in Patna. They have already asked for the dates for the seminar and the confirmation from the State Government is awaited in this regard. A team which has been headed by the Members in charge of Bihar in the Planning Commission have already visited Patna. They have had very high level consultations with the Chief Minister, Cabinet Ministers, Ministers and senior officials of the Government of Bihar.

As far as the various Ministries and Departments of the Government of India are concerned, they have also initiated action with the Planning Commission.

A memorandum was presented by the Members of Parliament of Bihar to the Prime Minister and some comments have been asked for. Some details have been received from the Ministries of Agriculture, Water Resources, Road Transport and Highways, Power, Communications, Industry and Civil Aviation. There is a detailed report on this. If the Member wishes to see it, I will be very happy to show it to him.

A detailed analysis of the responses has revealed that in almost all the cases, the Ministries and Departments have

taken care to keep the interests of Bihar in mind. The expansion of national highways has been planned in Bihar. Centrally sponsored schemes on agriculture are already in existence. The NTPC has planned projects for the future. Telecom facilities are being extended and the work on the expansion of the airstrip is, at the moment, underway. We are also seized of the fact that Bihar, with its lowest per capita income in the country and socio-economic indicators that show that it is lagging behind from other States, needs special attention in the matter of growth and development. It is a very large State also and we feel that there is no reason why it should not be able to catch up with the rest of the country.

A very important perception of the Planning Commission is that Bihar with its very vital natural resources of soil and water is actually well suited for a very marked improvement in the performance in areas of agriculture, horticulture, fishery specially when its people are so capable and hard working. The Planning Commission is considering a scheme where a large number of shallow tube wells will be installed with people's participation and their maintenance and ownership will be transferred to the farmers. Something similar has happened recently in Assam.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): What is the total amount to be considered as a special package for Bihar? That would satisfy the Members. We are not understanding as to what is the amount allocated to Bihar.

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Why do you not allow me to finish? NABARD is actively involved in making the scheme a reality at the moment. We do recognise that though there had been a lot of devastation due to floods which would recur as has happened frequently, certain construction of dams particularly in the townships of Nepal will be required. The Government of India has been taking up this matter with the Government of Nepal so that the hydel resources of both the countries can actually be developed for their mutual benefits. The concern of the Central Government for the State of Bihar is very genuine.

The gross budgetary support for the Annual State and Central Plan for 2001-02 has been of the order of around Rs.100,000 crore.

The total approved Annual Plan outlays during the Ninth Plan period for the State of Bihar have ranged from Rs. 2,000 crore to Rs. 3,000 crore. In this context the demand which has been raised by the Government of Bihar is very far beyond the financial capabilities of the Central Government. So, any attempt to fulfil this demand further than this would mean drastic cuts in the allocation of other States which, I think, every Member will agree would not be feasible in the current scenario. Secondly, it has also been noticed that there is substantial non-utilisation of plan funds that are allocated by the Centre to Bihar under various social sector schemes. A lot of money has remained unutilised. Even if majority of these funds are utilised efficiently, additional funding and counterpart funding can be made available by the Central Government. It is because certain amount would be made available by the Government of Bihar which would be then supported by the Central Government and the allocations would then get lifted. The need, therefore, is to improve the implementation of the existing schemes in the State of Bihar. It deserves very very serious attention. Thirdly, additional funds are provided to the States under project-based assistance. Accelerated Irrigation Benefit Programme is an example of one of this. The States can take up funds from financial institutions. The States are encouraged to fund suitable projects through external agencies also and facilitation for the preparation of the project reports can be set up by the Central Government. When the final accounts are being finalised by the C&AG, as per the latest available preparation on the basis of Budget Estimates for the year 2001-02, it seems that the performance of the State in terms of balance from current revenues has been much better than originally anticipated. The State Government deserves commendation for that, and in having estimated a much lower level of non-plan revenue which is largely responsible for this improvement of balance from current revenues.

I think the hon. Member would agree that development is not the outcome of just funding alone but a better management and well-functioning institutions. The Planning Commission provides from Central Plan, assistance to the States to supplement their plan outlays. Subsequent decisions for planning and development in different sectors, including the allocation of funds for their schemes and programmes are to be taken up by the State Government. That is the State Government's job. The Central Government and the Planning Commission will absolutely leave no stone unturned to help Bihar towards progress. At the same time the State of Bihar has to make the special efforts to improve its delivery mechanism, monitoring and evaluation arrangements and also to improve its skills in the preparation of the projects. So, we will have a sympathetic approach to solving the problems of Bihar. But the issues of governance will, therefore, be addressed by the State. The crucial determinants for Bihar's development would basically lie within the province of the State Government and these are the factors on which the future of Bihar will turn.

As far as the Central Government is concerned, and the Planning Commission is concerned, I have made it amply clear that in its march towards progress, Bihar will be fully and completely supported by us.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसमें एक सवाल रह गया है। पैसा भी बिहार को नहीं मिला और बिहार के भविय का क्या होगा। â€¦ (व्यवधान) बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, बिहार के भविय के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सिर्फ कालिंग अटैन्शन था। बिहार के मामले पर चर्चा के लिए आप और नोटिस दीजिए। सब लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं चर्चा के लिए इंतजाम करूंगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह घोर बिहार विरोधी उत्तर है। यह उत्तर असंतोाजनक है ऐसा मैं मानता हूँ। हमारी पार्टी के सभी संसद सदस्य सरकार के इस उत्तर का विरोध करते हुए और सरकार का बहिकार करते हुए सदन से बहिर्गमन करते हैं।

12.49 ण्द्धद्

(तत्पश्चात् डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Raghunath Jha, and Shri Prabhunath Singh can give a separate notice for short duration discussion.